7/5/18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुण्डोली में पेश हुई। पक्षकारान उप०। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र 7 नियम 11 को सुना गया। प्रार्थी स्वयं ने स्वीकार किया कि मेरे द्वारा आपत्ति 1 ए 4 की मृत्यु उपरान्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो गलत है। मूल वाद में प्रा०पत्र 7 नियम 11 स्वीकार किया गया दावा खारिज किया जा चुका है। अब इस प्रार्थना पत्र के चलने का कोई औचित्य शेष नहीं रह गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो।

दर्ज नम्बर से कम हो।

NAD'18 CO मुण्डोली